



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14. अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या : 431 / मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2017-03(01)-मा०सं०(04)/2016 दिनांक २२ मार्च, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम के पेंशनरों को मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दर पुनरीक्षित करते हुए निगम के आदेश सं०-214/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2016 दिनांक 09.02.2016 द्वारा चिकित्सा भत्ते का भुगतान सम्बन्धित पेंशन इकाई द्वारा किया जा रहा था।

2. तदन्तर शासनादेश सं०-1/2016/41/24-पी-2-16-सा(84)/2014/दिनांक -13.01.16 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी 2000 के विद्यमान पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न परियोजनाओं से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे, की दिनांक 01-03-2016 से देय पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का भुगतान कोषागारों के माध्यम से किया जा रहा है।

3. प्रस्तर-2 में वर्णित व्यवस्था लागू हो जाने के पश्चात कतिपय व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण राजकीय कोषागारों द्वारा पेंशनर्स को देय चिकित्सा भत्ते को भुगतान नहीं हो पाया है।

अतः मामले में समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

- (क) चिकित्सा भत्ते का भुगतान पेंशन का अंग नहीं है। यह उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधिष्ठान व्यय का एक घटक है। अतः सम्बन्धित पेंशन भुगतान इकाई, जहाँ से पेंशनर पूर्व में पेंशन प्राप्त कर रहे थे के द्वारा चिकित्सा भत्ते की धनराशि रु० 200/- प्रतिमाह का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर के बैंक खाते में सीधे अन्तरित कराया जायेगा।
- (ख) इस हेतु पेंशन वितरण इकाईयां निधि की मांग उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम, मुख्यालय, शक्ति भवन से करेंगी। परियोजना उक्त मांग, अधिष्ठान निधि की मांग के साथ, वित्त प्रबन्ध अनुभाग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम शक्ति भवन को प्रत्येक माह प्रेषित करेंगे। निगम की लेखा शाखा की वित्त प्रबन्ध इकाई द्वारा उक्त निधि परियोजना को निर्गत कर, उपलब्ध करायी जायेगी।
- (ग) उपरोक्तानुसार चिकित्सा भत्ते का भुगतान किये जाने के पूर्व सम्बन्धित पेंशन इकाई को यह समाधान करना होगा कि सम्बन्धित पेंशनर के विद्युत संयोजन पर देय विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है।
- (घ) यदि पेंशनर द्वारा अवशेष विद्युत देयों का भुगतान कर दिया गया है तो चिकित्सा भत्ते का भुगतान उपरोक्त बिन्दु (क) के अनुसार किया जायेगा।

शेष पृष्ठ-2 पर.....

21/3/17

(2)

- (ड़) यदि विद्युत देय अवशेष है, तो चिकित्सा भत्ते का समायोजन विद्युत देयों में कर लिया जायेगा।
(चं) सम्बन्धित पेंशन आहरण इकाईयों द्वारा इस हेतु आवश्यक अभिलेखों का रख रखाव भली प्रकार किया जायेगा।


निदेशक(का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या: 431 (1) मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उ0नि0लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
6. कार्यकारी महाप्रबन्धक(मा0सं0-1/6), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक(मा0सं0)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/जानपद-नवपरियोजनायें-1/11/पर्यावरण एवं सुरक्षा/पी0पी0एम0एम0/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0 (मा0सं0-02/03/04/05)/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ।
12. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
13. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. उप महाप्रबन्धक/कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार,लखनऊ।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सर्वसेना)
उप महाप्रबन्धक (मा0सं0-04)